




दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/प्रमोशन (GAZ)/15/7024 दिनांक:-31.12.2019

प्रति.

सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-359/2019

विषय:-Eligibility conditions for promotion from Group 'C' to Group 'B' posts in the major departments having 'Organised Services'.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(GP)2019/2/25 दिनांक 27.12.2019, RBE No. 216/2019 की प्रति सूचना. मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1	Letter dated 29.03.2010	55/2010

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (3 पृष्ठ)

अगस्त
31/12/2019

(जे एस ताता)

सहायक कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

E/R No. - 359/2019
P/1

RBE No. 216 /2019

No. E(GP)2019/2/25

New Delhi, dt:- 27.12.2019

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units.

(Kind attn: PCPO, Dy. CPO/G, PFA, Dy. CAO/G)

Sub.: Eligibility conditions for promotion from Group 'C' to Group 'B' posts
in the major departments having 'Organised Services'.

Ref.: Railway Board's letters No. E(GP)99/2/22 dated 29.03.2010 and
06.05.2014

55/2010

The eligibility criteria for appearing in the Selections/LDCEs for promotion to Group 'B' posts in the Departments having organised services has been laid down in terms of Board's letters no. E(GP) 99/2/22 dated 29.03.2010 and 06.05.2014. Consequent upon implementation of the pay structures recommended by the VII Pay Commission, the said eligibility conditions have since been reviewed by the Board and it has been decided to make following changes therein:

- i) For Group 'B' selections (70% quota), Group 'C' employees working in Level 6 and above in Pay Matrix with 3 years of non-fortuitous service in Level 6 and above in Pay Matrix (including non-fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grade pay) will be eligible.
- ii) For Group 'B' selections (30% LDCE quota), Group 'C' employees working in Level 6 and above in Pay Matrix with 5 years of non-fortuitous service in Level 6 and above in Pay Matrix (including non-fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grade pay) will be eligible.
- (iii) However, for Selections/LDCEs for promotion to Group 'B' posts in Accounts department, Group 'C' employees fulfilling the abovementioned conditions should also have qualified the Appendix-3 IREM Examination.
- iv) In the integrated seniority of Group 'C' employees eligible for Group 'B' selections (70% quota) in all departments having organised services except Accounts department, employees in Level 7 of the Pay Matrix will be placed above those in Level 6 of the Pay Matrix. In either category, the relative seniority of employees coming from different streams will be determined with reference to length of non-fortuitous service in Level 7 or Level 6 in the Pay Matrix, as the case may be.

359/19
P/2

-2-

v) In the integrated seniority of Group 'C' employees eligible for Group 'B' selections (70% quota) in Accounts Department, employees in Level 8 in Pay Matrix will be placed above those in Level 6 in Pay Matrix. In either category, the relative seniority of employees coming from different streams will be determined with reference to length of non-fortuitous service in Level 8 or Level 6 in Pay Matrix, as the case may be.

3. Please acknowledge receipt.

M. Saluja
(Meenakshi Saluja)
Dy. Director, Estt.(GP)-III
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

आरबीई सं.: 216/2019

सं. ई(जीपी)2019/2/25

नई दिल्ली, दिनांक 27.12.2019

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

(ध्यानाकर्षण: पीसीपीओ, डिप्टी सीपीओ/जी, पीएफए, डिप्टी सीएओ/जी)


विषय: 'संगठित सेवा' वाले महत्वपूर्ण विभागों में ग्रुप 'सी' पदों से ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तें।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक 29.03.2010 और 06.05.2014 के पत्र सं. ई(जीपी)99/2/22

बोर्ड के दिनांक 29.03.2010 और 06.05.2014 के पत्र सं. ई(जीपी)99/2/22 में संगठित सेवा वाले विभागों में ग्रुप 'बी' पदों पर पदोन्नति हेतु चयनों/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन संरचना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा उक्त उल्लिखित शर्तों की समीक्षा की गई है और इनमें निम्नलिखित परिवर्तन करने का विनिश्चय किया गया है:

- i) ग्रुप 'बी' (70% कोटा) में चयन के लिए, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 और उससे ऊपर 3 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 और उससे ऊपर कार्यरत ग्रुप 'सी' कर्मचारी (तदनुरूपी संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन में की गई गैर-आकस्मिक सेवा सहित) पात्र होंगे।
- ii) ग्रुप 'बी' (30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटा) में चयन के लिए, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 और उससे ऊपर 5 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 और उससे ऊपर कार्यरत ग्रुप 'सी' कर्मचारी (तदनुरूपी संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन में की गई गैर-आकस्मिक सेवा सहित) पात्र होंगे।
- iii) बहरहाल, लेखा विभाग में ग्रुप 'बी' पदों पर पदोन्नति हेतु चयन/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को परिशिष्ट-3 आईआरईएम परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त करनी होगी।
- iv) लेखा विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर, संगठित सेवा वाले सभी विभागों में ग्रुप 'बी' (70% कोटा) में चयन के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में पात्र ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की एकीकृत वरिष्ठता वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 के कर्मचारियों से ऊपर रखी जाएगी। दोनों में से किसी भी कोटि में अलग-अलग विभागों से आने वाले कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 7 अथवा लेवल 6, जैसा भी मामला हो, में गैर-आकस्मिक सेवाओं की अवधि के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।
- v) लेखा विभाग में ग्रुप 'बी' (70% कोटा) में चयन के लिए पात्र ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की एकीकृत वरिष्ठता वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 के कर्मचारियों से ऊपर रखी जाएगी। दोनों में से किसी भी कोटि में अलग-अलग विभागों से आने वाले कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 8 अथवा लेवल 6, जैसा भी मामला हो, में गैर-आकस्मिक सेवाओं की अवधि के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

3. कृपया पावती दें।



(मीनाक्षी सलुजा)

उप निदेशक स्थापना (जीपी)-III।

रेलवे बोर्ड